न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I,** (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– **44/2024** GCMS 2024/103

प्रार्थीगणः–

1. देवाराम पुत्र श्री रामूराम
2. मोहनराम पुत्र श्री रामूराम के फौत होने पर कायम मुकाम

2/1 पतासी देवी पत्नी श्री मोहनराम
2/2 सुखाराम पुत्र श्री मोहनराम
2/3 दानाराम पुत्र श्री मोहनराम
2/4 मनहोरी देवी पुत्री श्री मोहनराम
2/5 शोभा देवी पुत्री श्री मोहनराम
2/6 कमला देवी पुत्री श्री मोहनराम

3. रूपाराम पुत्र श्री रामूराम
4. राजूराम पुत्र श्री रामूराम
5. सुण्डाराम पुत्र श्री रामूराम
6. मोहनराम पुत्र श्री रामूराम समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम शहीद रामेश्वर नगर तहसील कुचामन सिटी

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी
2. शाखा प्रबंधक महोदय यूको बैंक शाखा कुचामन सिटीं, तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

प्रार्थना पत्र रेकर्ड व नक्शा ट्रेश शुद्धि दुरूस्ती बाबत् अन्तर्गत धारा 136, 121 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी।

:निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:43:38 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः– 20/02/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम शहीद रामेश्वर नगर पटवार हल्का [illegible] के खसरा नंबर 203 रकबा 0.2300 है. खसरा नंबर 204 रकबा 3.4700 है. खसरा नंबर 36 रकबा 0.28[illegible] खसरा नंबर 37 रकबा 1.1100 है. कुल खसरें 2 कुल रकबा 0.3800 है. व खसरा नंबर 39 कुल

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)

रकबा 11.3100 है. की कृषि भूमि कब्जाशुदा, खातेदारीशुदा भूमि चली आ रही है जिसका हम निर्विवाद रूप से उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं तथा हम हमारे हक हिस्से की चारों ओर नींव सींव कायम कर काश्त करते आ रहे हैं। उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि में से कटाणी रास्ता खसरा नंबर 35 में किस्म गै.मु. हमारी खातेदारी भूमि के नक्शा ट्रेक्श के बीच में दर्ज चला आ रहा है जबकि मौके पर हमारी खातेदारी भूमि के बीच में से रास्ता नहीं रहा है। जो रास्ता मौके पर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि में मौके पर निम्नलिखित नजरी नक्शा में स्थान A, B, C, पर रास्ता चालू है। जिसमें ग्राम पंचायत हिराणी द्वारा नरेगा कार्य किया जाकर ग्रेवल सड़क निर्माण कर रखा है। नक्शा ट्रेक्श में उक्त रास्ता राजस्व कर्मचारियों की गलती से भूलवंश दर्ज हुआ है। उस रास्ते को नक्शा ट्रेक्श में शुद्धि कराने का अधिकारी है।

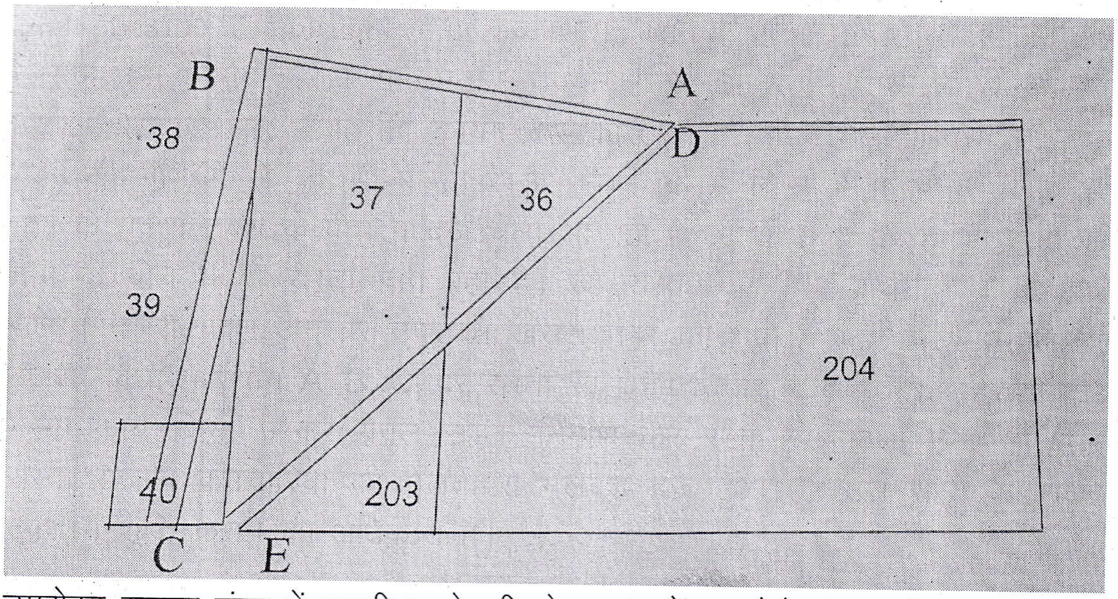

उपरोक्त खसरा नंबर में हमारी खातेदारी के नक्शा ट्रेक्श मौके पर रास्ते पर आवागमन चालू है जो आवागमन कई वर्षों से चालू है जबकि राजस्व कर्मचारियों की गलती से नक्शा ट्रेक्श रास्ता गलत स्थान पर अंकित कर दिया गया है जो मौके पर चालू रास्ता नजरी नक्शा स्थान स्थान A, B, C, दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें। उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि में नक्शा ट्रेक्श गलत स्थान पर कटाणी रास्ता दर्ज होने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए नजरी नक्शा स्थान स्थान A, B, C, पर प्रार्थीगण दर्ज कराने के अधिकारी है। उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि में नक्शा ट्रेक्श मौके [illegible] नक्शा स्थान A, B, C, पर कटाणी रास्ता दर्ज करवाने एवं नजरी नक्शे में गलत कटाणी रास्ता D, E को हटाकर खातेदारी दर्ज कराने का आदेश [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:43:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट अनुसार ग्राम शहीद रामेश्वर नगर के खसरा नंबर 37 व 203 के मध्य

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

खसरा नंबर 35 किस्म गै.मु.रास्ता राजकीय खाता में दर्ज है तथा प्रतिबंधित श्रेणी का है। राजहित होने के कारण रास्ते के खसरे का यथावत रखा जाना उचित है।

वकील प्रार्थी व राजपैरोकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व राजपैरोकार ने तहसीलदार रिपोर्ट को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ग्राम शहीद रामेश्वर नगर के खसरा नम्बर 37 व 203 के मध्य खसरा नम्बर 35 किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय खाता में दर्ज है तथा प्रतिबंधित श्रेणी का है। राजहित होने के कारण रास्ते के खसरे को यथावत रखा जाना उचित है।

प्रकरण में राजहित निहित है। इसलिए ग्राम पलाड़ा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 31, 39, 30, 37, 36, 40 व 35, 203 के मध्य वर्णित नक्शे में दर्शित रास्ते को प्रार्थना पत्र में वर्णित नजरी नक्शे में A, B, C, के मध्य रास्ते को संशोधन कर A से D के मध्य रास्ता कायम जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया गया।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना—पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना—कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:43:38 IST
Reason: SelfAttested